नईदुनिया

संपादकीय

आस्था आहत, भरोसा लौटाना जरूरी

मर्यादा *पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में बना भव्य राम मंदिर केवल ईंट-पत्थर का निर्माण नहीं है, यह करोड़ों सनातनियों की आस्था का प्रतीक है। जब विश्व से लाखों भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे थे तो लगा था कि रामराज्य की परिकल्पना साकार हो रही है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में सामने आए आंकड़ों और घटनाओं ने इस आस्था को चोट पहुंचाई है।*

उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के आंकड़े बताते हैं कि इस साल जनवरी से जून के बीच अयोध्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या में करीब 70 प्रतिशत की गिरावट आई है। पिछले साल इसी अवधि में 23 करोड़ 82 लाख लोग पहुंचे थे, जबकि इस बार संख्या घटकर 7 करोड़ 20 लाख रह गई है। यानी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो उत्साह था, वह अब धीमा पड़ता नजर आ रहा है। इसका बड़ा कारण चंदा चोरी का विवाद और उसके बाद हुई सियासत है।

आस्था भावना से जुड़ी होती है और भावना आहत होती है तो लोग दूरियां बना लेते हैं। रामलला के नाम पर चंदा देने वाले भक्तों ने सोचा था कि उनका धन प्रभु के धाम के निर्माण में लगेगा। लेकिन जब चढ़ावे में गड़बड़ी की बातें सार्वजनिक हुईं और आरोप-प्रत्यारोप का दौर चला तो आम भक्त का मन खट्टा हो गया। उसने सवाल पूछा कि जिस मंदिर के लिए उसने श्रद्धा से दान दिया था, वहां यदि पारदर्शिता नहीं है तो फिर वह क्यों जाए।

यह केवल संख्या का सवाल नहीं है, यह सनातन समाज के भरोसे का सवाल है। भगवान राम ने हमें मर्यादा, सत्य और धर्म पर चलना सिखाया। उसी आदर्श पर बना मंदिर यदि विवादों में घिर जाए तो संदेश क्या जाएगा? आर्थिक अनियमितताओं की चर्चा से उस पवित्रता पर प्रश्नचिह्न लगता है और भक्त का मन उचट जाता है।

हालांकि जून के अंतिम और जुलाई के शुरुआती 13 दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या में 26 प्रतिशत की बढ़त देखी गई। लेकिन इस अस्थायी बढ़त से मूल समस्या हल नहीं होगी। जब तक चंदा चोरी जैसे विवादों की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच नहीं होती और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती, तब तक भक्त का भरोसा वापस नहीं आएगा। आस्था शब्दों से नहीं, कर्मों से जीती जाती है।

भरोसा लौटाने के लिए मंदिर ट्रस्ट को पूरा हिसाब-किताब सार्वजनिक करना होगा कि कितना चंदा आया, कितना खर्च हुआ और कहां क्या गड़बड़ी हुई। दोषी कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि राम का मंदिर किसी व्यक्ति की जागीर नहीं है। श्रद्धालुओं के लिए स्वच्छता, सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित किए जाएं। मंदिर को राजनीति से दूर रखा जाए। राम सबके हैं और राम का मंदिर भी सबका है।

अयोध्या केवल एक शहर नहीं है, यह भारत की आत्मा है। इसलिए सभी पक्ष मिलकर गलती स्वीकारें, सुधार करें और भक्तों से क्षमा मांगें। रामलला के दर्शन के लिए उमड़ने वाली भीड़ अपने आप नहीं आएगी। उसे भरोसा, पारदर्शिता और मर्यादा देनी होगी। जिस दिन अयोध्या फिर से आस्था का केंद्र बनेगी, उसी दिन सनातन समाज का सिर गर्व से ऊंचा होगा।

आजकल

कानून के रक्षक ही बन रहे भक्षक, चेकिंग नहीं गुंडागर्दी

सड़क पर खाकी दिखते ही आम आदमी का दिल क्यों बैठ जाता है? क्योंकि उसे लगता है कि चेकिंग के नाम पर सुरक्षा नहीं, वसूली होती है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने जबलपुर में 11 जुलाई 2026 को हुई घटना पर टिप्पणी करते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं।

मामला ट्रैफिक चेकिंग का था। एक अधिवक्ता बाइक पर दो लोगों के साथ बिना हेलमेट जा रहे थे। पुलिस ने रोका। बात बढ़ी और गाली-गलौज तक पहुंच गई। पुलिस ने बाइक की चाबी छीन ली और डंडा दिखाकर रोका। हाईकोर्ट के जस्टिस हिमांशु जोशी ने कहा कि कानून के रक्षक खुद नियम न तोड़ें। चेकिंग के दौरान अभद्र भाषा, अनावश्यक बहस और किसी की गाड़ी की चाबी छीनना अनुचित है। कानून तोड़ने पर चालान काटें और कार्रवाई करें, लेकिन कानून को हाथ में न लें।

यह एक विवाद का नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था पर सवाल है जो सड़कों पर दिखाई देती है। चेकिंग के नाम पर वाहन चालकों को बीच सड़क रोकना, डंडा दिखाना, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना और छोटी कमी पर चाबी छीन लेना पुलिस की कार्यशैली नहीं हो सकती। वर्दी को दबंगई का लाइसेंस नहीं बनाया जा सकता।

अधिवक्ता भी बिना हेलमेट और तीन सवारियों के साथ थे, इसलिए उनकी गलती भी थी। लेकिन नागरिक की गलती पुलिस को मर्यादा तोड़ने का अधिकार नहीं देती। कानून दोनों के लिए समान है।

सबसे बड़ा नुकसान पुलिस और जनता के बीच भरोसे का है। पुलिस से अपेक्षा है कि वह अपराध से बचाए, भय का कारण न बने। विभाग को प्रशिक्षण, निगरानी और कार्रवाई के जरिए व्यवहार सुधारना होगा। हाईकोर्ट की टिप्पणी को फाइल तक सीमित नहीं रखना चाहिए। चेकिंग हो, लेकिन चेकिंग के नाम पर गुंडागर्दी नहीं। तभी वर्दी का सम्मान और कानून का राज दोनों बचेंगे।

जन कल्याण से जन विश्वास की राह पर मोहन सरकार

डॉ. शिशिर उपाध्याय

मध्यप्रदेश की सत्ता में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में एक नई कार्य संस्कृति की शुरुआत हुई है, जिसका सीधा मकसद सरकार और जनता के बीच की दूरी खत्म करना, सरकारी योजनाओं का लाभ सबसे आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाना और आम आदमी को यह भरोसा दिलाना है कि उसकी सरकार उसके साथ खड़ी है। इसी सोच के साथ मोहन सरकार ने पूरे प्रदेश में जन विश्वास अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि सरकार की मंशा और कार्यशैली दोनों को दर्शाता है, जिसमें फाइलों से निकलकर अधिकारी और मंत्री सीधे मैदान में जनता के बीच उतर रहे हैं।

जन विश्वास अभियान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें बातों से ज्यादा काम पर जोर है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्वयं यह तय किया है कि वे प्रति शुक्रवार किसी न किसी जिले में जनता के बीच पहुंचेंगे। वहां वे योजनाओं की समीक्षा करेंगे, शिकायतें सुनेंगे और मौके पर ही समाधान के निर्देश देंगे। मुख्यमंत्री का यह मैदान में उतरना एक प्रतीकात्मक संदेश भी है कि सत्ता अब एसी कमरों से निकलकर गांव, गली और मोहल्ले तक पहुंच रही है। जब मुख्यमंत्री खुद लोगों के बीच बैठकर उनकी समस्या सुनते हैं तो अधिकारियों में जवाबदेही का भाव पैदा होता है और जनता में यह विश्वास गहरा होता है कि उसकी बात सुनी जाएगी।

इस अभियान को केवल मुख्यमंत्री तक सीमित नहीं रखा गया है। मोहन सरकार के सभी मंत्रियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने प्रभार वाले जिलों में नियमित दौरे करें और जनता से सीधा संवाद करें। मंत्री अब केवल उद्घाटन और समारोहों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि उन्हें विकास कार्यों की जमीनी हकीकत देखनी होगी। उनके दौरे में स्कूल, अस्पताल, सड़क और आंगनवाड़ी जैसी बुनियादी सुविधाओं का औचक निरीक्षण किया जाएगा और जहां लापरवाही मिलेगी, वहां तत्काल कार्रवाई होगी। इस तरह मंत्री जनता और सरकार के बीच सेतु की भूमिका निभा रहे हैं।

जन विश्वास अभियान को प्रभावी बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने एसीएस और प्रमुख सचिवों को भी

जिलों और संभागों की जिम्मेदारी सौंपी है। अब राज्य के वरिष्ठ अधिकारी केवल भोपाल में बैठकर फाइलें नहीं देखेंगे, बल्कि उन्हें अपने आवंटित क्षेत्र में जाकर विकास कार्यों की गति जांचनी होगी। योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करना होगा और जिला स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक कर लक्ष्यों को समय पर पूरा करवाना होगा। इससे नीतियां बनाने वाले और उन्हें लागू करने वाले अधिकारी आमने-सामने आ रहे हैं, जिससे संवाद बेहतर हुआ है और निर्णय तेजी से लेने में मदद मिल रही है।

अभियान का एक महत्वपूर्ण स्तंभ जिला स्तर के अधिकारी हैं। कलेक्टर, एसपी, सीईओ और अन्य विभागीय अधिकारी मैदान में उतरकर गांवों का दौरा कर रहे हैं। वे ग्राम सभाओं में शामिल होकर हितग्राहियों से सीधे पूछ रहे हैं कि उन्हें योजना का लाभ मिला या नहीं, आवास मिला या नहीं और पेंशन समय पर आ रही है या नहीं। इस सीधे फीडबैक से सरकार को पता चल रहा है कि कहां क्या कमी है और उसे दुरुस्त किया जा सकता है। साथ ही यह संदेश भी स्पष्ट है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जो अधिकारी जनता के काम में देरी करेंगे या भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इससे प्रशासन में जवाबदेही बढ़ाने की कोशिश हो रही है। जन विश्वास अभियान का असर जमीनी स्तर पर भी दिखाई दे रहा है। प्रदेश के कई जिलों में विशेष शिविर लगाए गए, जहां एक ही छत के नीचे आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, लाड़ली बहना योजना, किसान सम्मान निधि और अन्य योजनाओं से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। पहले जिन लोगों को इन योजनाओं के लिए महीनों चक्कर लगाने पड़ते थे, उन्हें अब एक ही स्थान पर समाधान मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की मरम्मत, स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति और अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता पर भी विशेष नजर रखी जा रही है। जहां कमी पाई जाती है, वहां सुधार के निर्देश दिए जा रहे हैं।

इस अभियान की एक और उपलब्धि यह है कि इससे नौकरशाही में सकारात्मक प्रतिस्पर्धा पैदा हो रही है। जब एसीएस और प्रमुख सचिव जिलों में पहुंचकर कामकाज देखते हैं तो जिला प्रशासन में भी ऊर्जा आती है। हर कलेक्टर चाहता है कि उसके जिले का प्रदर्शन बेहतर रहे। इससे योजनाओं की मॉनिटरिंग मजबूत होती है और निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करने का दबाव बढ़ता है। जनता को भी यह महसूस होने लगता है कि सरकार उसकी समस्याओं को लेकर गंभीर है। यही भावनात्मक जुड़ाव जन विश्वास अभियान की सबसे बड़ी पूंजी है।

जन विश्वास अभियान मोहन सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य केवल योजनाओं को लागू करना नहीं, बल्कि जनता के मन में सरकार के प्रति भरोसा जगाना है। लंबे समय से यह शिकायत रही है कि सरकारी योजनाएं कागजों तक सीमित रह जाती हैं और उनका पूरा लाभ आम आदमी तक नहीं पहुंचता। जन विश्वास अभियान इसी खाई को पाटने की कोशिश है। जब मुख्यमंत्री, मंत्री और अधिकारी जनता के बीच जाएंगे तो योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी और प्रशासन की जवाबदेही मजबूत होगी।

चुनौतियां भी कम नहीं हैं। प्रदेश बहुत बड़ा है और हर जिले की समस्याएं अलग-अलग हैं। कई जगह स्टाफ की कमी है तो कई जगह पुरानी व्यवस्था में बदलाव आसान नहीं है। इसलिए अभियान को केवल दौरे और निरीक्षण तक सीमित न रखकर उसकी निरंतर निगरानी जरूरी है। इसके लिए तकनीक का सहारा लिया जा सकता है। हर जिले में ऐसा डैशबोर्ड बनाया जा सकता है, जहां कितने आवेदन आए, कितने निपटे और कितने लंबित हैं, इसकी जानकारी उपलब्ध हो। जनता के लिए हेल्पलाइन की व्यवस्था की जा सकती है, जहां शिकायत दर्ज कराने के साथ उसकी स्थिति भी ट्रैक की जा सके। जनप्रतिनिधियों और स्वयंसेवी संगठनों को भी अभियान से जोड़ा जाना चाहिए, ताकि जन भागीदारी बढ़े और सरकार को जमीनी फीडबैक मिलता रहे।

जन विश्वास अभियान केवल एक सरकारी योजना नहीं है, यह सरकार की कार्यशैली में बदलाव का नाम है। सुशासन का मतलब केवल भाषण देना नहीं, बल्कि जनता के बीच जाकर उसकी समस्या सुनना और उसका समाधान करना है। डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार ने इस अभियान के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की है कि सबका साथ, सबका विकास केवल नारा नहीं, बल्कि उसे जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। जब मुख्यमंत्री जनता के बीच पहुंचेंगे, मंत्री मैदान में रहेंगे और अधिकारी जवाबदेह होंगे तो सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक जरूरतमंदों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। जन विश्वास से ही जन कल्याण का रास्ता निकलता है और मोहन सरकार उसी रास्ते पर आगे बढ़ रही है।

साइबर अपराध पर लगाम: सरकारों और एजेंसियों को सख्त निर्देश

देश में साइबर अपराध और डिजिटल ठगी के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने केंद्र, राज्य सरकारों और सभी संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि वे साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए ठोस और समयबद्ध कदम उठाएं। कोर्ट ने विशेष रूप से डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हो रही ठगी, फर्जी कॉल और ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी पर चिंता जताई है और कहा है कि अब ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह आदेश ऐसे समय में आया है, जब देश भर में हर दिन हजारों लोग साइबर अपराधियों का शिकार बन रहे हैं और आम नागरिक की गाढ़ी कमाई पल भर में खाते से उड़ जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की पृष्ठभूमि में पिछले कुछ महीनों में सामने आए साइबर ठगी के बड़े मामले हैं। डिजिटल अरेस्ट एक नया तरीका है, जिसमें अपराधी खुद को पुलिस, सीबीआई या ईडी का अधिकारी बताकर वीडियो कॉल करते हैं और लोगों को डराते हैं कि उनके नाम से कोई अपराध हुआ है। फिर उनसे पैसा मांगते हैं या उन्हें घंटों तक वीडियो कॉल पर रोके रखते हैं। इस डर के कारण कई लोग अपनी जीवन भर की बचत लुटा चुके हैं। इसके अलावा फर्जी लोन ऐप, यूपीआई फ्रॉड और बैंक खातों से पैसे निकालने के मामले भी तेजी से बढ़े हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, हर साल साइबर अपराध के मामलों में 30 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हो रही है।

इस समस्या से निपटने के लिए केवल केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि राज्य सरकारों को भी सक्रिय भूमिका निभानी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे अपने यहां साइबर पुलिस थानों की संख्या बढ़ाएं और उन्हें आधुनिक तकनीक और प्रशिक्षित कर्मियों से लैस करें। साथ ही हर जिले में साइबर हेल्प डेस्क बनाई जाए, जहां पीड़ित तुरंत शिकायत दर्ज करा सके। कोर्ट ने यह भी कहा है कि साइबर अपराध की जांच में देरी नहीं होनी चाहिए और मामलों का निपटारा तय समय सीमा में होना चाहिए।

वित्तीय संस्थानों और बैंकों की भूमिका पर भी कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। आदेश में कहा गया है कि बैंक और यूपीआई कंपनियां ग्राहकों को साइबर

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की पृष्ठभूमि में पिछले कुछ महीनों में सामने आए साइबर ठगी के बड़े मामले हैं। डिजिटल अरेस्ट एक नया तरीका है, जिसमें अपराधी खुद को पुलिस, सीबीआई या ईडी का अधिकारी बताकर वीडियो कॉल करते हैं और लोगों को डराते हैं कि उनके नाम से कोई अपराध हुआ है। फिर उनसे पैसा मांगते हैं या उन्हें घंटों तक वीडियो कॉल पर रोके रखते हैं। इस डर के कारण कई लोग अपनी जीवन भर की बचत लुटा चुके हैं। इसके अलावा फर्जी लोन ऐप, यूपीआई फ्रॉड और बैंक खातों से पैसे निकालने के मामले भी तेजी से बढ़े हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, हर साल साइबर अपराध के मामलों में 30 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हो रही है।

ठगी से बचाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं कर रही हैं। कई बार एक ही दिन में खाते से कई बार पैसे निकल जाते हैं, लेकिन बैंक को पता नहीं चलता। कोर्ट ने आरबीआई और सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे संदिग्ध लेनदेन पर तुरंत रोक लगाएं और ग्राहक को अलर्ट भेजें। साथ ही 4 घंटे के भीतर शिकायत दर्ज होने पर खाते को फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू की जाए, ताकि पैसे को आगे ट्रांसफर होने से रोका जा सके।

डिजिटल अरेस्ट को लेकर कोर्ट ने विशेष चिंता जताई है। जजों ने कहा कि यह अपराध न केवल आर्थिक नुकसान करता है, बल्कि लोगों को मानसिक रूप से भी तोड़ देता है। कई पीड़ित डर के कारण आत्महत्या तक कर लेते हैं। इसलिए इस तरह के अपराध में शामिल लोगों के खिलाफ गैर-जमानती धाराओं में मामला दर्ज किया जाए और उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। कोर्ट ने गृह मंत्रालय और दूरसंचार विभाग को भी निर्देश दिया है कि वे फर्जी सिम कार्ड और अंतरराष्ट्रीय कॉल के जरिए होने वाली ठगी पर रोक लगाएं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जिम्मेदार बनाएं कि वे फर्जी अकाउंट को तुरंत बंद करें। इस पूरे मामले में समन्वय की कमी को भी कोर्ट ने एक बड़ी समस्या बताया है। अभी साइबर अपराध की शिकायत 1930 हेल्पलाइन पर होती है, लेकिन राज्य पुलिस, बैंक और केंद्रीय एजेंसियों के बीच डेटा साझा नहीं हो पाता, जिससे अपराधी बच निकलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक केंद्रीय पोर्टल बनाया जाए, जहां सभी शिकायतें दर्ज हों और सभी एजेंसियां उस डेटा तक पहुंच सकें। साथ ही राज्यों के बीच भी खुफिया जानकारी साझा करने का तंत्र विकसित किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट का यह हस्तक्षेप समय पर हुआ है, क्योंकि साइबर अपराध अब संगठित गिरोहों का काम बन गया है। ये गिरोह विदेशों में बैठकर भारत के लोगों को निशाना बना रहे हैं। उनके पास तकनीक भी है और पैसा भी है। ऐसे में केवल पुलिस कार्रवाई से काम नहीं चलेगा। आम नागरिकों को भी जागरूक करना होगा। स्कूल, कॉलेज और मीडिया के जरिए लोगों को बताया जाए कि कोई भी सरकारी एजेंसी वीडियो कॉल पर पैसा नहीं मांगती और न ही किसी को डिजिटल अरेस्ट कर सकती है।

आर्थिक दृष्टि से भी यह मुद्दा गंभीर है। साइबर ठगी से हर साल हजारों करोड़ रुपये का नुकसान होता है। यह पैसा सीधे देश की अर्थव्यवस्था से निकल जाता है और कई बार आतंकी गतिविधियों में भी इस्तेमाल होता है। इसलिए साइबर सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा मानना होगा। सरकार को चाहिए कि वह साइबर सुरक्षा के लिए बजट बढ़ाए और निजी कंपनियों को भी इसमें निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करे।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश एक चेतावनी भी हैं और एक अवसर भी। अगर केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर इन निर्देशों को ईमानदारी से लागू करती हैं तो साइबर अपराध पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। लेकिन अगर यह आदेश भी फाइलों में दब गया तो आने वाले समय में स्थिति और बदतर हो जाएगी। जरूरत है कि हर नागरिक सतर्क रहे, कोई भी अनजान कॉल या लिंक पर क्लिक न करे और तुरंत 1930 पर शिकायत करे, क्योंकि साइबर दुनिया में सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है और न्यायालय का यह आदेश इसी सावधानी को व्यवस्था का हिस्सा बनाना चाहता है।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

84 महादेव दर्शन यात्रा

श्री गंगेश्वर महादेव (42वें महादेव) : जहाँ स्वयं माँ गंगा को भी श्राप-मुक्ति के लिए शिव-दर्शन करना पड़ा

'स्वर्ग में एक दृष्टि की भूल, धरती पर सदियों का श्राप, गंगेश्वर महादेव के दर्शन मात्र से मुक्त हुईं स्वयं माँ गंगा'

'गंगा ने क्रोध में शिव को शीतल किया, शिव ने जटा में बाँध लिया कल्पों तक – फिर एक श्राप ने उन्हें ला खड़ा किया उज्जैन के इसी शिवलिंग के सामने'

डॉ. नवीन आनंद जोशी

उज्जैन के महाकाल वन में, क्षिप्रा नदी के दक्षिणी तट पर, मंगलनाथ मंदिर के समीप विराजमान हैं श्री गंगेश्वर महादेव- 84 महादेवों की पावन शृंखला में 42वें स्थान पर पूजित यह शिवलिंग उस अद्भुत कथा का साक्षी है जिसमें स्वयं देवनदी माँ गंगा को भी अपनी मुक्ति के लिए देवाधिदेव भगवान शिव की शरण लेनी पड़ी थी।

कथा का आरंभ अयोध्या के राजा सगर से होता है, जिनके साठ हज़ार पुत्र महर्षि कपिल मुनि के तपोबल से भस्म हो गए थे। उनकी मुक्ति तभी संभव थी जब स्वर्ग की गंगा धरती पर उतरकर उनकी भस्म का स्पर्श करे। पीढ़ियों के अथक प्रयास के बाद राजा भगीरथ की अटूट तपस्या से गंगा धरती पर अवतरित होने को तैयार हुईं। परंतु गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि सीधे पृथ्वी पर गिरने से समस्त सृष्टि विदीर्ण हो सकती थी। तब भगवान शिव ने भगीरथ की प्रार्थना पर गंगा को अपनी विशाल जटाओं में धारण कर लिया।

यहीं वह मार्मिक प्रसंग घटित होता है जो इस कथा को और गहरा बनाता है। जटाओं में समाकर शिव ने गंगा को तुरंत धरती पर नहीं उतरने दिया — इससे गंगा

क्रोधित हो उठीं, और अपने क्रोध में उन्होंने भगवान शिव के शरीर को अत्यंत शीतल कर दिया। आशुतोष भी इस पर क्रोधित हुए, और प्रत्युत्तर में उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में और भी दृढ़ता से बाँध लिया। कई कल्पों तक गंगा शिव की जटाओं में ही तपस्यारत रहीं, जब तक कि भगीरथ की निरंतर उपासना से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें पुनः मुक्त कर धरती पर उतरने दिया। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि जब दो महान शक्तियाँ भी अहं और क्रोध में उलझ जाती हैं, तब भी किसी निश्छल भक्त की सतत प्रार्थना ही अंततः सामंजस्य स्थापित करती है।

धरती पर अवतरण के पश्चात गंगा समुद्र की पत्नी हुईं। कुछ काल बाद, जब समस्त देवी-देवता ब्रह्मलोक में ब्रह्माजी की स्तुति हेतु एकत्रित हुए, तब गंगा और समुद्र भी वहाँ पहुँचे। उसी समय प्रबल वायु के झोंके से गंगा का आँचल उड़ गया। यह देखकर उपस्थित सभी देवताओं ने मर्यादावश तुरंत अपने मुख नीचे कर लिए, परंतु महाभिष नामक राजऋषि उन्हें एकटक देखते रहे। इस अमर्यादित दृष्टि को देखकर ब्रह्माजी ने उन्हें मृत्युलोक में भेज दिया। यह देख समुद्र को भी अत्यंत ग्लानि हुई और उन्होंने क्रोधवश गंगा को मृत्युलोक में ही रहने का श्राप दे दिया।

विलाप करती हुई गंगा ने ब्रह्माजी से क्षमा और मुक्ति की विनती की। ब्रह्माजी ने उन्हें आदेश दिया कि वे महाकाल वन में, शिप्रा नदी के दक्षिण में स्थित शिवलिंग का श्रद्धापूर्वक दर्शन-पूजन करें। आज्ञा पाकर गंगा अपनी सखी शिप्रा के साथ महाकाल वन आईं और उसी शिवलिंग के समक्ष विधिवत पूजा-अर्चना की। भक्ति-भाव से किए गए इस दर्शन मात्र से गंगा श्राप से मुक्त हो गईं। ठीक उसी क्षण समुद्र भी वहाँ प्रकट हुए और गंगा का यथोचित सम्मान किया। चूँकि इसी दर्शन-पूजन से गंगा को मुक्ति मिली, यह शिवलिंग सदा के लिए गंगेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हो गया।

यह सम्पूर्ण कथा अत्यंत गहन जीवन-सत्य समेटे हुए है। गंगा, जो स्वयं पवित्रता और मोक्ष की प्रतीक हैं, वे भी क्रोध, अभिमान और मर्यादा-उल्लंघन के परिणामस्वरूप श्राप और पीड़ा से नहीं बचीं। यह हमें सिखाता है कि चाहे कोई कितना भी महान, पूज्य या शक्तिशाली क्यों न हो, मर्यादा और संयम का पालन सभी के लिए अनिवार्य है। साथ ही यह भी सिखाता है कि चाहे पतन और श्राप कितना भी बड़ा क्यों न हो, भगवान शिव की सच्ची शरणागति में हर बंधन से मुक्ति संभव है।

गंगेश्वर महादेव के दर्शन का विशेष महत्व है - यही वह पावन काल है जब महादेव अपने भक्तों की प्रत्येक पुकार शीघ्रता से सुनते हैं। मान्यता है कि इस शिवलिंग के दर्शन मात्र से समस्त तीर्थों की यात्रा का पुण्यफल प्राप्त होता है, और श्रद्धालु अंतकाल में परम गति को प्राप्त करता है - ठीक वैसे ही जैसे स्वयं माँ गंगा को यहाँ दर्शन से मुक्ति मिली थी।

क्षिप्रा तट पर खड़ा होकर जब श्रद्धालु गंगेश्वर महादेव के दर्शन करता है, वह केवल एक शिवलिंग नहीं देखता - वह उस स्थान को नमन करता है जहाँ स्वयं देवनदी गंगा ने भी विनम्रतापूर्वक शिव के चरणों में शीश झुकाया था। उज्जैन के चौरासी महादेवों की इस शृंखला का यह अध्याय सिखाता है कि मुक्ति और मर्यादा किसी के लिए भी अपवाद नहीं रखतीं - देवी हों या मनुष्य, शिव-शरण ही अंतिम आश्रय है। यही गंगेश्वर महादेव का सनातन संदेश है-

जो स्वयं गंगा को श्राप से मुक्त कर सके, उस शिवलिंग के आगे संसार का कोई भी बंधन टिक नहीं सकता है ।

यात्रा निरंतर जारी